न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00083

1. मदनपाल
2. कन्हैया लाल पिसरान सूरजमल जाति मीणा निवासी फतेहपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. रामकुंवार आत्मज सूरजमल (मृतक) जरिये उत्तराधिकारी :–
   3/1. रामप्रसाद आत्मज रामकुंवार
   3/2. सावित्री पुत्री रामकुंवार ।
   3/3. प्रेमबाई बेवा रामकुंवार ।
   3/4. ललित उम्र 13 वर्ष पुत्र रामकुंवार नाबालिग जरिये वली प्रेमबाई बेवा रामकुंवार माता स्वयं जाति मीणा निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

———अपीलान्ट

बनाम

1. कुंज बिहारी
2. मनोज कुमार पिसारान स्व0 मोहन लाल
3. राम माला
4. रेखा बाई
5. इन्द्रा बाई पुत्रियॉ स्व0 मोहनलाल
6. घींसी बाई बेवा मोहन लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम फतेहपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 06 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतेहपुर तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 03 किता की 2.16 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि सूरजमल जी के नाम दर्ज थी । सूरजमल जी की मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्र मोहनलाल, मदनपाल, कन्हैयालाल व रामकुंवार एवं बेवा पुष्पाबाई के नाम संभाग 1/5 – 1/5 से दर्ज हुई । पुष्पा बाई की मृत्यु के बाद सहवन से वादीगण का 1/5 व प्रतिवादी कम 1 से 3 का 4/5 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है । पुष्पाबाई का नाम डिलीट होने के बाद वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 का 3/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था परन्तु सहवन से 1/5–4/5 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत है । वादीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है जिसके वे खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 जिनका वादग्रस्त आराजी में 4/5 हिस्सा दर्ज है का नाजायज फायादा उठाकर वादीगण को उनके 1/4 हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व भूमि को खुर्द–बुर्द व रहन, बेचान करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 को 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण को 1/4 हिस्से का पृथक से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम 1/4 हिस्से में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी एवं उसके किसी भी भाग को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें और वादीगण को उनके 1/4 हिस्से की भूमि से उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.07.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्टगण कम 03 से 6 के पिता एवं पति रामकुंवार जी का पूर्व में भी स्वर्गवास हो चुका था तथा रामकुंवार जी के उत्तराधिकारियों को कायममुकामान एवं पक्षकार बनाये बिना ही उक्त वाद को डिक्री कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट क्रम 3 लगायत 6 के पिता एवं पति रामकुंवार का पूर्व में ही स्वर्गवास हो चुका था और उनके उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट का कोई स्वत्व निहित नहीं था । 45 वर्षों से वादग्रस्त पर अपीलान्ट का ही कब्जा है । विभाजन का दावा एक गॉव की आराजी के लिए किया है जबकि समस्त गॉव की आराजी को शामिल करते हुए दावा पेश करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तामील में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी क्रम 01 और 02 की उपस्थिति दर्ज की गई है और यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी क्रम 02 उपस्थित हैं परन्तु हस्ताक्षर करने से मना किया है । प्रतिवादी क्रम 03 की मृत्यु हो जाना भी अंकित किया है परन्तु उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा डिक्री किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है ।

9. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा